

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 26 /2126/2014/50- 2

भोपाल, दिनांक 03/01/15

प्रति

1. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (म0प्र0)
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा (म0प्र0)
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (म0प्र0)
8. समस्त बाल विकास परि0अधि0 मध्यप्रदेश

विषय - राज्य के आंगनवाडी/उप आंगनवाडी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय के संबंध में निर्देश ।

संदर्भ - विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24/02/2014.

संदर्भित विभागीय समसंख्यक परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में शहरी क्षेत्रों में पूर्ववत स्थानीय स्व-सहायता समूहों के माध्यम से भोजन प्रदान किया जाएगा । जिन शहरों के मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत एकीकृत रसोई प्रणाली चालू है वह कलेक्टर के अनुमोदन पर एकीकृत रसोईयों के माध्यम से भी ताजा पका हुआ पूरक पोषण आहार प्रदाय करने का भी विकल्प रहेगा ।

इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ स्व-सहायता समूह अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ उन्हीं के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता रहेगा । जहाँ स्व-सहायता समूहों के संबंध में शिकायतें/अनियमितताएं हैं उन्हीं स्थानों पर संबंधित का पक्ष सुनकर अन्यथा निर्णय लिया जावे ।

  
(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
भोपाल, दिनांक 03/01/15

पृष्ठांक क्रमांक 7 /2126/2014/50- 2

प्रतिलिपि

आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा की ओर उचित कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग